Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-I**

LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

Monday, February 4, 2019/ Magha 15, 1940 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, February 4, 2019/ Magha 15, 1940 (Saka)

CONTENTS | PAGES

……	1
OBITUARY REFERENCES	2-5
……	6
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 1-2)	6A-11
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 3-20)	12-29
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1-230)	30-259

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, February 04, 2019/ Magha 15, 1940 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, February 04, 2019/Magha 15, 1940 (Saka)

C ON T E N T S	P A G E S

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	260
PAPERS LAID ON THE TABLE	261
ASSENT TO BILLS	262
ELECTION TO COMMITTEE	263
National Jute Board	
SPECIAL MENTIONS	264-76
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	277-303
Shri Bhanu Pratap Singh Verma	278
Shri Prahlad Singh Patel	279
Shri Anurag Singh Thakur	280
Shri Nishikant Dubey	281
Col. (Retd.) Sona Ram Choudhary	282-84
Shri Rahul Kaswan	285
Shri Subhash Chandra Baheria	286
Shri Ravindra Kumar Pandey	287
Dr. Udit Raj	288
Shrimati Jayshreeben Patel	289
Shri Pralhad Joshi	290
Shri M. K. Raghavan	291
Dr. Shashi Tharoor	292

Shri P. R. Sundaram	293
Shrimati K. Maragatham	294
Shri Dinesh Trivedi	295
Prof. Saugata Roy	296
Shri Rabindra Kumar Jena	297
Shri Gajanan Kirtikar	298
Shri Jayadev Galla	299
Dr. P. K. Biju	300
Mohammed Faizal	301-02
Shri Dushyant Chautala	303
---	304-05

xxxx

(1100/SJN/NKL)

1100 hours

(Hon. Speaker *in the Chair)*

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have given a notice for Adjournment Motion. There is a constitutional crisis. …(*Interruptions*) The Chief Minister of West Bengal is sitting on a *dharna*. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

…(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को आठ पूर्व सदस्यों, सर्वश्री केयूर भूषण, बटेश्वर हेमराम, वाई. जी. महाजन, डॉ. जी. आर. सरोदे, जलागम कोंडला राव, के. कृष्णमूर्ति, भानु प्रकाश सिंह और जॉर्ज फर्नांडीज के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री केयूर भूषण मध्य प्रदेश के रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब छत्तीसगढ़ में है, से 7वीं और 8वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री केयूर भूषण प्राक्कलन समिति के सदस्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे।

श्री भूषण स्वंतत्रता सेनानी थे जिन्हें 'भारत छोड़ो' आंदोलन में भाग लेने के लिए कारावास में रखा गया था।

साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री केयूर भूषण 'छत्तीसगढ़ की कली' और 'छत्तीसगढ़ संदेश' के संपादक थे।

श्री केयूर भूषण का निधन 90 वर्ष की आयु में 3 मई, 2018 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ।

श्री बटेश्वर हेमराम बिहार के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जो अब झारखंड में है), से छठी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री हेमराम की साहित्यिक कार्यकलापों में विशेष रुचि थी और उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री बटेश्वर हेमराम का निधन 87 वर्ष की आयु में 17 अक्टूबर, 2018 को दुमका, झारखंड में हुआ।

श्री वाई. जी. महाजन महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं और 14वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री महाजन कृषि संबंधी समिति और मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री महाजन एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने दहेज विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री वाई. जी. महाजन का निधन 77 वर्ष की आयु में 29 अक्टूबर, 2018 को जलगांव में हुआ।

डॉ. जी. आर. सरोदे महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं और 11वीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व, डॉ. जी. आर. सरोदे महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य भी रहे।

डॉ. जी. आर. सरोदे का निधन 78 वर्ष की आयु में 2 दिसम्बर, 2018 को जलगांव, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री जलागम कोंडला राव आंध्र प्रदेश के खम्माम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जो अब तेलंगाना में है), से छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे।

वे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व, श्री कोंडला राव वर्ष 1957 से 1962 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री राव ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया।

श्री जलागम कोंडला राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 18 दिसम्बर, 2018 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ।

(1105/BKS/SRG)

श्री के.कृष्णमूर्ति तमिलनाडु के मयिलादुथुरई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री कृष्णमूर्ति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री कृष्णमूर्ति ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया तथा अनेक शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी।

श्री के. कृष्णमूर्ति का निधन 74 वर्ष की आयु में 16 जनवरी, 2019 को तंजावुर, तमिलनाडु में हुआ।

श्री भानु प्रकाश सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ और सीधी निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री भानु प्रकाश सिंह औद्योगिक विकास और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री थे। उन्होंने गोवा के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

श्री भानु प्रकाश सिंह का निधन 89 वर्ष की आयु में 24 जनवरी, 2019 को राजगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज महाराष्ट्र के तत्कालीन बॉम्बे साउथ (जो अब मुम्बई दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है), से चौथी लोक सभा के सदस्य थे। वे बिहार के मुजफ्फरपुर तथा नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः छठीं, सातवीं और नौवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री फर्नांडीज केन्द्रीय रक्षा, रेल, संचार तथा उद्योग मंत्री भी थे। एक अनुभवी संसद सदस्य के रूप में वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री जॉर्ज फर्नांडीज 'The Other Side' के संपादक थे तथा उन्हें अन्य पुस्तकें, जैसे 'What ails the Socialists' and 'Railway Strike of 1974' के प्रकाशन का भी श्रेय प्राप्त है।

श्री फर्नांडीज एक उत्कृष्ट संघवादी और समाजवादी थे तथा उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्शों पर बल दिया। उन्होंने गरीबों और समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के अधिकारों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उठाया तथा अनवरत कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की।

उन्होंने सामाजिक मुद्दों के लिए निरंतर संघर्ष किया तथा अत्यंत सक्रियता और निर्भीकता के साथ कार्य किया। वे श्रमजीवी वर्ग के लिए पूर्णतः समर्पित थे।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज का निधन 88 वर्ष की आयु में 29 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have given a notice for Adjournment Motion. …(*Interruptions*).

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour. Definitely I will allow you.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 1, श्री राजीव सातव जी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you. आपको भी बोलने का मौका दूंगी।

…(*Interruptions*)

श्री राजीव सातव (हिंगोली): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार द्वारा सी.बी.आई. की मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में पहले चर्चा हो जाए और उसके बाद क्वैश्चन ऑवर लें, यह मेरी विनती है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्वैश्चन नम्बर बोलिये।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैडम, सी.बी.आई. पर पहले डिस्कशन हो जाए।

माननीय अध्यक्ष: क्या आपको क्वैश्चन नहीं पूछना है?

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैडम, पहले सी.बी.आई. का होने दीजिए। …(व्यवधान)

(प्रश्न 1)

HON. SPEAKER: You do not have any question?

… (*Interruptions*)

1109 hours

(At this stage, Shri Kesineni Srinivas, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood near the Table)

HON. SPEAKER: Shrimati Supriya Sule

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, this is a very serious issue of unemployment. The data shows that it is 40 per cent. …(*Interruptions*). It is a 40-year low. Unemployment has gone up. Given the situation, we really need to debate the unemployment issue in this House, but we want to know what the data is because the hon. Minister says that employment has gone up. …(*Interruptions*). But the NSSO data says that unemployment has reached a 40-year low. You see as to what is happening in the House. What is happening is unfortunate, but we need to discuss this. …(*Interruptions*).

(1110/GG/KKD)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, यह विषय महत्वपूर्ण है, हम इस बात को समझते हैं और हम इस पर हर प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। …(व्यवधान) परंतु हमारा कहना है कि जो खबरें आ रही हैं, उन पर बिना किसी जानकारी के रिलाइ करना मायने नहीं रखता है। …(व्यवधान) जो डाटा लीक होने की बात कही जा रही है, वह संभवत: पूरी रिपोर्ट में ही है। …(व्यवधान) यह एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, अधूरी रिपोर्ट है।

...(व्यवधान) हमारा इस मंत्रालय से कोई वास्ता नहीं है। ...(व्यवधान) इस संदर्भ में मैं संबंधित मंत्री को जानकारी दूंगा और आगे जो भी विशेष बात होगी, वह मैं सदन को बताऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): अध्यक्ष महोदया, यह बेरोज़गारों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है। ...(व्यवधान) मेरी जानकारी में श्रम मंत्रालय ने जब भी कभी इन पोर्टलों की व्यवस्था की है, आदर्श स्थिति तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ...(व्यवधान) चाहे जितने भी प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, चाहे हम पोर्टल चालने के लिए पैसे की मदद करें या फिर राज्य सरकारों को उन केन्द्रों को बहुत तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने की बात हो, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने मदद की है। ...(व्यवधान) ऐसे कौन से राज्य हैं, जो मदद लेने के बाद भी इस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्या इस प्रकार का कोई ग्रेडेशन भारत सरकार का श्रम मंत्रालय करेगा? ...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ। ...(व्यवधान) हम पूरे तरीके से, सभी राज्यों को मदद कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इसमें 50 लाख रुपये प्रति सैंटर पर मदद करने का काम कर रहे हैं और अब तक 117 सैंटर्स को मदद कर दी गई है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं, वह जानकारी मैं अपने विभाग से लेकर इनको उपलब्ध कराने का काम करूंगा। ...(व्यवधान)

(ends)

(Q. 2)

HON. SPEAKER: Q. No. 2, Shri B. Vinod Kumar – Not present.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, you kindly lay it.

… (*Interruptions*)

SHRI C.R. CHAUDHARY: Madam, a Statement is laid on the Table of the House …(*Interruptions*)

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, India's trade deficit with China has widened over the last two years and it has reached to more than US 57 billion dollar. Therefore, the export of raw sugar to China will help somehow to reduce the trade deficit gap. …(*Interruptions*)

I would like to know whether China has released the raw sugar export quota for the year 2019 to enable us to export raw sugar to China …(*Interruptions*)

SHRI C.R. CHAUDHARY: Madam Speaker, a right question has been raised by the hon. Member at the right time. भारतवर्ष के अंदर पिछले 2017-18 और 2018-19 के अंदर डोमैस्टिक कंजंप्शन से ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है। …(व्यवधान) सन् 2017-18 में हमारा प्रोडक्शन 322 लाख टन था, while the domestic consumption was only 255 lakh metric tonnes. इसी प्रकार से सन् 2018-19 में जो एस्टिमेटिड प्रोडक्शन आ रहा है, वह 315 लाख टन है, while the domestic consumption is 260 lakh tonnes इस कारण से there is a surplus position in sugar. शुगर के अंदर हमें एक्सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। शुगर इंडस्ट्रीज़ और शुगरकेन फार्मर्स जो हैं, उनको चूंकि एरियर जो था, काफी भुगतान था। …(व्यवधान) जब चीनी का भाव सन् 2016-17 में जब

प्रोडक्शन कम हुआ, तो शुगर का प्रति किलो खुदरा भाव था, वह 40 रुपये से ज्यादा हो गया था। ...(व्यवधान) अभी जो भाव है, वह सन् 2017-18 में और 2018-19 में ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से भाव से काफी कम आने लगे, यानी 25-26 रुपये किलो हो गया था। ...(व्यवधान) इस कारण से, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए, जिनके कारण शुगर फैक्ट्रीज़ को और शुगरकेन फार्मर्स को नुकसान नहीं हो। ...(व्यवधान) शुगरकेन फार्मर्स को अपना एरियर टाइम पर मिल जाए, इस बात की व्यवस्था की गई। ...(व्यवधान) Export is one of the important issues क्योंकि शुगर में, minimum indicated export quota was given 20 lakh metric tonne in 2017-18 and 15 lakh metric tonne in 2018-19. सन् 2017-18 के अंदर हमने करीब 16 लाख टन शुगर प्रोड्युज़ किया, लेकिन चूंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर तीन से पांच मिलियन, यानी तीस लाख टन से पचास लाख टन तक की उनकी सालाना डिमांड रहती है। They import about 30 lakh to 50 lakh tonnes of sugar annually. China is our nearest neighbour. So, we should export our sugar to China.

(1115/KN/RP)

माननीय प्रधान मंत्री जी जब वुहान पधारे थे, चाइना के राष्ट्रपति से उनकी वार्ता हुई।...(व्यवधान) उस दौरान चावल और शुगर का इम्पोर्टेंट इश्यू लिया गया कि भारत इनका आपको एक्सपोर्ट करना चाहता है और उसके बाद में सीरीज ऑफ द मीटिंग्स यानी हमारे शुगर एक्सपोटर्स और चाइना के शुगर इम्पोटर्स की मीटिंग करवाई गई। जून महीने में सेलर एंड बायर मीटिंग हुई।...(व्यवधान) उसके बाद में मिनिस्टर लेवल पर मीटिंग हुई। सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि वर्ष 2017-18 का कोटा उन्होंने ऑलरेटी रिलीज कर दिया था।...(व्यवधान) जून में और जनवरी के अंदर China released the export quota और इस कारण से उन्होंने वर्ष 2018 का अपना कोटा रिलीज कर दिया।...(व्यवधान) वर्ष 2019 का जनवरी में तय होना था। Still, it is not being decided as to how much sugar China will import from India.

We are consistently pursuing this matter but there is no written agreement. That is all. Thank you, Madam. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o' clock.

1116 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

(1200/RCP/CS)

1200 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have given a notice of Adjournment Motion.…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you.

… (*Interruptions*)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। मैंने स्थगन प्रस्ताव को तो अनुमति नहीं दी है, मगर मुद्दा उठाने के लिए आपको मौका दे देती हूँ।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैं अभी मुद्दा उठाऊँ।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: After the Papers are laid, I will allow you. I am not saying ‘No’.

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1201 hours

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123 (2) (a) of the Constitution: -

(1) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (No.1 of 2019) promulgated by the President on 12th January, 2019.

(2) The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No.2 of 2019) promulgated by the President on 12th January, 2019.

(3) The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 3 of 2019) promulgated by the President on 12th January, 2019.

ASSENT TO BILLS

1202 hours

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I lay on the Table:-

(i) The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018;

(ii) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2019;

(iii) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2019; and

(iv) The Appropriation (No.6) Bill, 2018.

as passed by the Houses of Parliament during the Sixteenth Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President.

Madam Speaker, I also lay on the Table one copy, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2019 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President.

ELECTION TO COMMITTEE
National Jute Board

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to move:

> "That in pursuance of clause (b) of sub-section 4 of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (b) of sub-section 4 of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

1203 hours

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, there is a constitutional crisis in the State of West Bengal. Yesterday, on Sunday, after 6 p.m., 40 officers of the CBI went to the house of the Police Commissioner, Kolkata without taking previous permission, without a specific order from the court. They wanted to question the Police Commissioner of Kolkata. Our Chief Minister Mamata Banerjee went there to the Police Commissioner’s residence and she protested. But, they were unrelenting, as a result of which the Chief Minister is on a *dharna* since last night. This poses a Constitutional challenge. The Satyagraha by the Chief Minister is to highlight the misuse of CBI by the Central Government against Opposition Governments. They have done it especially after the 19 January rally where 22 political parties got together to challenge Mr. Modi and his BJP party. They are constantly using CBI to throttle the opposition voice, डराने के लिए, धमकाने के लिए। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं थी।...(व्यवधान) सीबीआई के तो दो डायरेक्टर चले गए। Why is CBI being used in? There is a High Court injunction on any action against the Kolkata Police Commissioner up to February 13.

(1205/SMN/RV)

The CBI went to the Supreme Court today. They have got no order from the Supreme Court. The Supreme Court asked the CBI to produce all necessary and relevant papers. We strongly protest with all the forces at our command against the CBI and the BJP led by Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah who

are really there to damage the Constitutional structure in such a face-off between the State Government and the Centre. …(*Interruptions*)

Madam, I want the Prime Minister to be called to this House. Let him reply as to why the Government of India is misusing the CBI against the State Government. This cannot go on day after day. Our Chief Minister is on an indefinite *dharna*. Today, the State Budget is there. Still, she is on a *dharna*. It is because of misuse of CBI which has also been called caged-parrot earlier.

Now, there is a clash between the previous Director Shri Alok Verma and Shri Rakesh Asthana. …(*Interruptions*) Overlooking Shri Kharge's opposition, they have gone on to appoint another officer.

माननीय अध्यक्ष : इस तरह सब बातें एकत्रित करके न बोलें।

…(<u>व्यवधान</u>)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, the CBI is being used in the State Government to capture Bengal. This is not the way they will succeed. In the elections, they will get a big zero. However, many times, Shri Narendra Modi, Shri Rajnath Singh and Shri Amit Shah visited Bengal. But what have they done? They have created a Constitutional crisis. …(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, the incident that occurred last evening smacks of impropriety. The manner in which the CBI officers wanted to barge into Kolkata Police Commissioner's residence, that too, with 40 personnel was unheard of. It is something which demonstrates and also questions the institutional integrity of CBI. The manner in which CBI has been functioning during the last 2-3 months' time, does not show any professionalism

and that is why the CBI has come into such criticism today. We are not a Banana republic. There are instances, especially, during the last few years. The situation has aggravated to such an extent where institutions are being derided because of certain motivated actions of certain personnel. This should be stopped at all quarters.

Some months back, Odisha has also seen the CBI officers barging into a sitting Judge's residence, that too, in the early hours of the morning, just before the Panchayat elections. Adequate steps were also taken by the CBI to defame Biju Janta Dal and actions again have started emanating in Odisha also just to defame the leaders of BJD. This smacks of unprofessionalism and we want CBI to be a professional institution and also should target those people who are indulging in corruption. But the manner in which CBI is functioning today, as if it has become a political stooge, as if it has become a political weapon at the hands of the power that is there with the Centre.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज देश में क्या हो रहा है?...(व्यवधान) क्या हो रहा है?...(व्यवधान) अभी सौगत राय जी ने जो समस्या आपके सामने रखी, बी.जे.डी. के नेता ने भी आपके सामने अपनी बातें रखीं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार सी.बी.आई. को एक हथियार बनाकर सभी ऑपोजीशन के लीडर्स को खत्म करना चाहती है।...(व्यवधान)

(1210/MY/MMN)

अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके ऑटोक्रैटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको दबाने की कोशिश हो रही

है।...(व्यवधान) जिस स्टेट में उनको पैर रखने के लिए जगह नहीं है, वहां पर जाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए...(व्यवधान)

मैडम, आप कहिए कि कौन-सा कानून ऐसा बोलता है कि रात के सात बजे जाकर आप एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करें।...(व्यवधान) एक आदमी नहीं, बल्कि चालीस-चालीस लोग जाकर अगर अटैक करते हैं, तो इसको हम क्या कहें? ...(व्यवधान) सिर्फ बंगाल में नहीं, यह बात लखनऊ में हो गई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, कर्नाटक में हो रही है, चेन्नै में हो रही है, हर जगह जहां-जहां पर उनके खिलाफ की पार्टियाँ हैं, उन सभी के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं।...(व्यवधान)

मैडम, यह क्या है?

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद): मैडम, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अगर आप सभी संस्थाओं का इस ढंग से गैर इस्तेमाल करेंगे, सभी संस्थाओं पर अगर दबाव डालेंगे, तो लोग झुकने वाले नहीं हैं, कोई पार्टी झुकेगी भी नहीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए न। मैं सभी को बोलने के लिए समय दे रही हूँ। मैं ना नहीं कह रही हूँ।

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद): मैडम, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वह डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है।...(व्यवधान) चार साल तक सीबीआई ने ज्यादा कुछ नहीं किया, तब तो दीदी और मोदी का सेटिंग चल रहा था।...(व्यवधान) कल हमारे यहां बिग्रेड में बहुत बड़ी रैली थी, उससे नजर घुमाने के लिए फिर एक नाटक किया गया।...(व्यवधान) फिर भी मैं यह कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया, वह भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है।...(व्यवधान) चीफ मिनिस्टर एक पुलिस कमिश्नर को साथ लेकर बैठ गई, यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है।...(व्यवधान) हमने देखा,

यह बताया गया कि वह बहुत अच्छा इन्स्पेक्टर/ऑफिसर हैं, अगर वह इतना अच्छा ऑफिसर हैं तो वह क्यों नहीं सीबीआई के सामने गया।…(व्यवधान) तीन-तीन बार सम्मन हुआ, लेकिन वह नहीं गया।…(व्यवधान) सीबीआई ने आजतक किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा, दोषी को सजा नहीं दिया, पैसा वापस नहीं किया।…(व्यवधान) दोषी को पकड़ो, दोषी को सजा दो और इन्वेस्टर का पैसा वापस करो। यह सीधी-सीधी मांग है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एम. बी. राजेश, श्री पी. के. बिजू तथा श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धर्मेन्द्र यादव ।

…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): धन्यवाद अध्यक्ष जी। जो कल कोलकाता में हुआ, उसकी मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से पुरजोर निंदा करता हूँ।…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, पूरे हिन्दुस्तान के अंदर चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे ओडिशा हो, जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हीं के खिलाफ सीबीआई, उन्हीं के खिलाफ ईडी, उन्हीं के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्यवाही की जा रही है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री जय प्रकाश नारायण यादव, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): अध्यक्ष जी, लास्ट मिनट, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आपका समय पूरा हो गया।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री जय प्रकाश नारायण यादव, आपको बोलना है क्या?

…(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय एजेन्सी सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है।…(व्यवधान) लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संघीय ढाँचे पर हमला हो रहा

है।…(व्यवधान) हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तथा उनके परिवार पर लगातार प्रहार किया गया है। उन्हें परेशान किया गया है।…(व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, we condemn what is happening in West Bengal. …(*Interruptions*) The hon. Chief Minister of West Bengal, a lady Chief Minister whom we are so proud of, is going through this problem and I think the muscle power that the CBI is using against a woman Chief Minister should be condemned, and the NCP condemns any such action.…(*Interruptions*) I think we all deserve a fair probe and the CBI should only be used against people who are corrupt and not against the innocent people. Thank you.

(1215/CP/RBN)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इधर आ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इधर से बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ? बोलने दीजिए, सबका बोलने का अधिकार है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आराम से बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री सौमित्र खान (बिशनपुर): मैडम, वेस्ट बंगाल में कुछ भी कांस्टीट्यूशनल नहीं है।…(व्यवधान) वेस्ट बंगाल में आज जो चल रहा है, पूरे विरोधी पक्ष का हैलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे हैं।…(व्यवधान) मेरे ससुराल के घर के सामने इलेक्ट्रिसिटी लाइन काट दी गई।…(व्यवधान) मेरे ऊपर 9 तारीख तक

कोई केस नहीं था, लेकिन आज देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस मुझे अंदर भेजने के लिए रेप केस लगा रही है। …(व्यवधान) मेरे घर में दो-दो बार सीज़ किया, कोई भी डॉक्युमेंट मेरे को नहीं दिया।…(व्यवधान) यह कैसी डेमोक्रैसी है? वेस्ट बंगाल में डेमोक्रैसी खत्म हो गई।…(व्यवधान) आज जो हो रहा है, वेस्ट बंगाल की पुलिस और वेस्ट बंगाल की सी.एम. एक हो गए हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौमित्र जी, आपने बोल दिया, बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, listen to the Minister. You will have to listen.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not proper. Now, listen to him.

… (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदया, कल कोलकाता में सीबीआई के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया, बल्कि उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, जैसा कि इस सदन को अवगत होगा कि सीबीआई को सारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है।…(व्यवधान)

1218 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री गौरव गोगोई, श्री कल्याण बनर्जी, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

सारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को सारदा ग्रुप द्वारा हड़प लिया गया। सारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी

डूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम्स के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड्स एंड रिटर्न्स का लालच देकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया गया। …(व्यवधान) जब इस कंपनी द्वारा लोगों का धन वापस नहीं किया गया, तो लाखों पीड़ितों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोगों ने विरोध दर्ज कराया।…(व्यवधान) इससे पश्चिम बंगाल के जनसामान्य में भी व्यापक नाराजगी हुई है। …(व्यवधान) सारदा स्कैम का मुद्दा पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया गया।…(व्यवधान) वर्ष 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के इंटरस्टेट होने के कारण, इसमें इंटरनेशनल मनीलांड्रिंग होने के कारण और साथ ही साथ सीरियस रेग्युलेटरी फेल्योर्स होने के कारण मामले के अभियुक्तों के एलेज्ड पॉलिटिकल नेक्सस होने के कारण सीबीआई की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया।…(व्यवधान) माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनैतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्लाउट और अथाह इनफ्लुएंस रखते हैं।…(व्यवधान)

दिनांक 3 फरवरी, 2019 को शाम 5 बजकर 45 मिनट पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के पास इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पुछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया, बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया।

(1220/SK/SM)

ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी।…(व्यवधान)

सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती करनी पड़ी।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, देश की लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के बीच ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है अपितु यह देश के फैडरल और पोलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। यदि लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा राज्य सरकारों की हों, को अपना विधिसम्मत कार्य करने से रोका जाए तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लेखित ब्लू बुक के साथ लॉ का पालन भी रुकेगा। …(व्यवधान) संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्य के सब्जैक्ट्स हैं। हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं तथा संविधान ने केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलाया जाए। …(व्यवधान)

जहां तक इस सदन का प्रश्न है, यह सदन इस बात से अवगत होगा कि सीबीआई द्वारा जांच या तो राज्य सरकारों से जनरल अथवा स्पेशल कन्सेंट के बाद अथवा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही की जाती है।…(व्यवधान) इस मामले में देश की हाइएस्ट कोर्ट, सीबीआई को मामले की फेयर प्रोब को ध्यान में रखते हुए जांच का आदेश दिया है।

मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं, वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं। …(व्यवधान) मैंने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल से भी चर्चा की है और महामहिम राज्य पाल ने राज्य के चीफ सैक्रेट्री और डीजी, पुलिस को बुलाया है ताकि इस मामले में उत्पन्न एजेंसियों के टकराव को दूर किया जा सके और सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। …(व्यवधान) मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें।

मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्य मुख्यमंत्री से कि लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों को ठीक तरीके से काम करने का अवसर प्रदान करें। मैं इसी अपील के साथ राज्य में देश की लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के सुचारु रूप से काम करने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं। …(व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों को सुचारु काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए, वह उपलब्ध कराने में पूरी

तरह से सहयोग करेगी ताकि सारी एजेंसियां निष्पक्ष और निडर होकर जांच कर सकें और देश में कानून का शासन स्थापित करने में सहायता मिल सके। …(व्यवधान) धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Go to your seats. Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इससे किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: What else do you want? What do you want? ऐसा नहीं होता है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष :श्री शरद त्रिपाठी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह हल नहीं है। Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : हंगामा करने से हल नहीं होता है।

…(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित अम्बेडकर नगर जनपद के पुलिस अधीक्षक के पद पर …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, की ओर दिलाना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैंने अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनके पास फोन किया तो उन्होंने संसद और सांसद के प्रति बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की जिससे मुझे संसदीय कार्य करने में कठिनाई महसूस हो रही है।…(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्मिक मंत्रालय को निर्देशित करें कि ऐसे अधिकारियों के लिए पुन: एक बार फिर से ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जाए और संसद एवं सांसद की गरिमा के बारे में अवगत कराया जाए। इससे हमारे जैसे सांसदों और संसद के प्रति लोग और भी जागरुक होंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. कुलमणि सामल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1225/MK/AK)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल - उपस्थित नहीं।

श्री लखन लाल साहू – उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seat. This is not fair.

… (*Interruptions*)

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): हमारे देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे समाज हैं, जो अलग-अलग नायक, बंजारा, महरा, पठारी, धनुहार, भुंइयां, भुंइयन, भुय्या और विभिन्न धीमर, केवट, कहार, मल्लाह, नागवंशी जाति के हैं। …(व्यवधान) इनके ध्वन्यात्मक विभिन्नता वाले शब्द खेरवार, पंडो, भारिया, तंवर, छत्री, परगनिहा, प्रधान आदि मात्रात्मक त्रुटि के कारण अनुसूचित

जनजाति की सूची में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें शामिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्काल कदम उठाये। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलमणि सामल को डॉ. बंशीलाल महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया - उपस्थित नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण – उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Madam, I want to raise a very important issue. …(*Interruptions*) In fact, I have sought for raising the matter in my mother tongue, Kannada. …(*Interruptions*)

[*]Madam, Today I would like to raise the issue of conferring Bharat Ratna award posthumously to His holiness Sri Sri Sri Dr. Shivakumara Maha Swamiji, who is '*Shataayushi' (*supercentenarian). He lived for 111 years and he was also known as '*Trividha Dasohi'* as he was instrumental in providing free s*helter,* free e*ducation* and free f*ood* to crores of devotees. His holiness attained 'Lingaikya', means became one with the Lord Shiva, breathed his last recently. His yeoman service to the society is matchless in the entire world and has won hearts and minds of crores of people. His devotees spread all over the world.

---

[*] Original in Kannada

I would like to draw the attention of the entire 'House' through you Madam, the government of Karnataka recommended to the union government to consider His holiness Sri Sri Sri Dr. Shivakumara Maha Swamiji's name for awarding the highest civilian award of the country Bharat Ratna when he was alive. And it is the desire of crores of followers of Swamiji. However, the Central government has disappointed all of us by not considering him for the greatest award of the country Bharat Ratna. It is rather painful and we are disappointed with the central government. It is not good on the part of the Central government as it did pay respect to the concern of the people.

Therefore, I urge upon the Union Government to consider the issue and award Bharat Ratna posthumously to His Holiness Sri Sri Sri Dr. Shivakumara Maha Swamiji at the earliest.. …(*Interruptions*) Thank you very much, Madam. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri R. Dhruvanarayana, Shri B.N. Chandrappa, Dr. Kulmani Samal, Shri V.S. Ugrappa and Shrimati Supriya Sule are permitted to associate with the issue raised by Shri S.P. Muddahanume Gowda.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 pm.

1228 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

(1400/RPS/SPR)

1402 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं।)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1402 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा।

…(व्यवधान)

1402 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य
आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे तुरंत मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

…(व्यवधान)

Re: Need to expedite construction of flyover on National Highway passing through Kalpi in Jalaun Parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर में एक ऐतिहासिक नगरी कालपी में 1.7 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक अनिर्मित हिस्से का निर्माण, जो कि वर्षों से अधर में लटका था। अब उक्त स्थान पर बनाए जा रहे फ्लाई ओवर का निर्माण एक कंपनी कर रही है, जिसे तय समय सीमा में फ्लाई ओवर समेत सर्विस रोड का निर्माण कराना है। उक्त फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु NHAI द्वारा 72 करोड़ 71 लाख रुपये का एस्टीमेट प्रस्तुत किया गया है। जिसमें 19 करोड़ रुपये अभी कंपनी को जारी किए जा चुके हैं।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है उक्त कंपनी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त निर्माण कार्य को तेजी से किया जाए, तथा NHAI के चेयरमैन को भी उक्त कार्य हेतु बची शेष धनराशि के अनुमोदन कराने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे 54 करोड़ 60 लाख रुपये जल्द ही जारी किए जा सके ताकि उक्त काम तय समय सीमा में हो सके।

(इति)

Re: Invention of a drone for spraying pesticide

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक नए यन्त्र की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसे जबलपुर, म0प्र0 के रहने वाले एक इंजीनियर ने बनाया है। इस "ड्रोन' में 30 लीटर की क्षमता है और यह गन्ना, मक्का, इत्यादि फसलों में कीट नाशक छिड़काव में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह ड्रोन को 20 फीट की ऊंचाई तक सीमित रखकर इसे एविएशन की अनुमति से मुक्त करें, ऐसा मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ड्रोन और इसकी प्राविधिकी का पेटेंट करने की अनुमति मिले ताकि इस भारतीय आविष्कार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में एक नई तकनीकी विकास का पथ प्रशस्त हो सके। सरकार इस यंत्र के व्यावसायिक निर्माण एवं इसकी सहज उपलब्धता हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे और आविष्कारक को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करे, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है।

(इति)

Re: Establishment of Medical Tribunal

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): With the advent of consumerism and commercialization of the health care sector, many cases of negligence in service by medical professionals and/or exuberant charges for medical services have surfaced. Given the existing problem of overburdening of cases in courts, an alternative mechanism for expeditious justice is required. Additionally, given the intricacies involved in medical cases, the lack of medical knowledge of judges in consumer courts can act as an impediment. Therefore, there needs to be an establishment of an medical tribunal where such cases can be addressed.

(ends)

Re: Need to include Khetauri Ghatwal-Ghatwar communities of Santhal Pargana in Jharkhand in the list of Scheduled Tribes

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I refer the matter raised under Rule 377 regarding inclusion of Khetauri,Ghatwal-Ghatwar and others as Scheduled Tribes in Parliament and received a reply from Hon'ble Minister of Tribal Affairs. But, amidst all of this, no development has taken place in this regard so far.

It is, therefore, I want to place a piece of great historical record - a book titled: "The Little world of an Indian District Officer", written by R. Carstairs and published by Macmillan & Co., London in 1912. In this book there is a detailed, historical record of the fact that the Santhal Parganas was created and named in 1855, and thus was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wonderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent settlement in 1790, every part of the territory was occupied. This details that at the time of the Permanent Settlement that there was NOT a single Sonthal in the whole of this area. "Bhunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedens, Highlanders - yes, but Sonthals, no".

It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the dispensation of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today.

Thus, the aborigines of the region are the ones who are deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes. (ends)

Re: Need to undertake development works and provide civic amenities in Barmer parliamentary constituency, Rajasthan

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरा संसदीय क्षेत्र 60 हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल एवं 36 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, जिसकी 1070 किमी सीमा भारत-पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगी है। यह पूरा मरूस्थलीय एवं थार क्षेत्र है। 1976 में देश में विलुप्त हो रहे एवं दुर्लभ पशु एवं पक्षियों के संरक्षण के लिए 1980 में जिला बाडमेर एवं जैसलमेर के 3162 वर्ग किमी के क्षेत्र को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया जिसमें 73 गांव एवं 200 ढाणियों जिनकी आबादी 1 लाख 15 हजार और लगभग 4 लाख पशुधन है। यह वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के लोगों ने 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्ध में देश की सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। स्थानीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से विषमतापूर्ण होने एवं पशुपालन एवं खेती यहाँ के जीवनयापन का मुख्य आधार होने से यहाँ के लोगों के द्वारा वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण सराहनीय है। उक्त क्षेत्र राज्य पक्षी गोडावन संरक्षण के लिए घोषित होने से पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं से यह क्षेत्र विगत 40 सालों से वंचित है। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य पर रोक होने से विकास नहीं हो पा रहा है। विधानसभा, लोकसभा या स्थानीय निकायों के चुनावों में डीएनपी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त करवाने की मांग उठती रही है। लेकिन विभिन्न सरकारों द्वारा आश्वासनों के अलावा इस क्षेत्र की जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया गया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस सदन में मेरे द्वारा दिनांक 06.08.2014 में मुद्दा उठाने एवं विभाग स्तर पर पत्र व्यवहार से स्थानीय जनता की तकलीफों से अवगत करवाने पर राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र के कुछ कार्यों के निर्माण हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान की जिससे स्थानीय लोगों को विगत 40 सालों में थोड़ी राहत मिली है। परन्तु नियमों एवं मार्गदर्शिका के स्पष्ट नहीं होने से अपेक्षाकृत कार्य नहीं हो पाया है।

यहाँ के हालात यह हैं कि

1. सरकार ने करोड़ो रुपये खर्च कर जीएलआर बना दिए हैं परन्तु पाईपलाईन खोदने की अनुमति नहीं होने से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहा है। बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। लोग बरसाती पानी पर साल भर निर्भर रहते हैं।

2. विकास के मुद्दों में बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है 30 गांव एवं 200 ढाणियाँ आज भी बिजली से वंचित है। प्रधानमंत्री की हर घर बिजली योजना भी यहाँ बिजली नहीं पहुंचा पाई है। बिजली के अभाव में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं।

3. यहां विगत 40 साल से सड़कों की मंजूरी पर रोक है। जो सड़के पूर्व में बनी हुई थी। मरम्मत के अभाव में वे भी खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को कच्चे रास्ते, ग्रेवल सड़क पर 5-7 किमी का रास्ता पार करना पड़ता है।

4. डीएनपी क्षेत्र में आसपास के 20 किमी की दूरी तक सीएचसी या पीएचसी नहीं है। इमरजेन्सी में भी लोग इस वैज्ञानिक एवं आधुनिक युग में चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाने से मौत के शिकार होते हो रहे हैं।

5. सरकारी एवं गैर सरकारी सभी कार्य आज कल ऑनलाईन होने के बावजूद यहां न तो नेटवर्क है यदि हो तो मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है। कुछ गांवों में लोग टीलों एवं पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल से बात कर रोजी रोटी के लिए क्षेत्र के बाहर गए अपने परिवारजनों से सम्पर्क कर पाते हैं।

6. पाकिस्तान से बड़ी संख्या में पीड़ित हिन्दू-पाक विस्थापितों को भी इसी क्षेत्र में भूमि आवंटित कर बसाया गया है। उनको अभी तक नागरिकता भी नहीं मिली और आधारभूत सुविधा भी नहीं मिल पाई है।

सड़क नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, चिकित्सा सुविधा नहीं, शिक्षा नहीं यानि कोई मूलभूत सुविधा नहीं होना। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र घोषित होना यहां के लोगों के लिए अभिशाप

(आप) साबित हुआ है। शासन एवं प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा यहां के लोग नर्क की सी जिन्दगी जी रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि उक्त क्षेत्र की जनता की तकलीफों को देखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र ठोस कदम उठाकर उक्त क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही अमल में लाकर स्थानीय जनता को न्याय प्रदान करायें।

(इति)

Re: Need to provide Rajasthan its allocated share of Yamuna water as per agreement

श्री राहुल कस्वां (चुरू): राजस्थान को यमुना बेसिन राज्यों यथा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के मध्य 1 2.5.1994 में हुए समझौते के तहत 1.1 19 बी.सी.एम. यमुना जल का आवंटन हुआ था। समझौता पत्र के अनुसार अपर यमुना बोर्ड को बेसिन राज्यों को यमुना का आवंटन हेतु अधिकृत किया गया था। दिनांक 21.12.2001 यमुना नदी बोर्ड ने 1917 क्यूसेक यमुना का जल ताजेवाला हैडवर्क्स से चूरू व झुंझुनू के लिए दिया जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह के पश्चात भी हरियाणा ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान नहीं की। दिल्ली में आयोजित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान व जल संसाधन मंत्री राजस्थान ने माननीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के समक्ष मजबूती से उक्त मुद्दा उठाया। दिनांक 15.2.2018 को आयोजित अपर यमुना रिव्यु कमेटी की बैठक हरियाणा द्वारा किये गये एतराज को खारिज करते हुए अध्यक्ष को भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली द्वारा जल लाने हेतु राजस्थान को डी.पी.आर. तैयार करने को कहा है। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान ने 28.8.2018 द्वारा परियोजन के निर्माण की सहमति से अवगत कराने एवं औपचारित अनुबंध करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को निवेदन किया था।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ताजेवाला हैड पर आवंटित जल को राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए एम.ओ.यू. पर हरियाणा की सहमति करायें, ताकि राजस्थान को अपने हिस्से का जल प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Need to simplify the process of GST refund claims

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदय, मैं सदन का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में कपड़ा मंडी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर हर प्रकार के कपड़े का निर्माण होता है। उसके लिए जो धागा (मेन मेड यार्न) काम में लाया जाता है, उस पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत है तथा तैयार कपड़े पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है इस कारण कपड़ा निर्माताओं की जीएसटी की राशि जमा रहती है। कपड़ा निर्माताओं को क्रेडिट राशि के रिफण्ड मिलने है इसके लिए 1 अगस्त, 2018 से सिन्थेटिक कपड़ा निर्माताओं को रिफण्ड जारी करने का नोटिफिकेशन आया है परन्तु 5 महीने बाद भी रिफण्ड नहीं मिल पाया है।

महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा की 400 इकाईयों का करीब 75 करोड़ रूपये से ज्यादा का रिफण्ड अटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जीएसटी रिफण्ड के लिए सक्षम स्तर से स्पष्ट निर्देश प्रदान करायें तथा इस जटिलता को समाप्त करने के लिए मेन मेड यार्न पर 12 प्रतिशत की जगह यदि 5 प्रतिशत जीएसटी की दर निर्धारित हो जाये तो कपड़ा निर्माताओं को राहत मिलेगी।

(इति)

Re: Problems faced by employees associated with Saakshar Bharat Mission in Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): आपका ध्यान साक्षर भारत मिशन योजना अंतर्गत लगे साक्षरता कर्मियों की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि देशभर में साक्षर भारत मिशन योजना अंतर्गत 5.5 लाख साक्षरकर्मी संविदा पर कार्यरत हैं। अकेले झारखण्ड में इनकी संख्या 50,000 से अधिक है। वर्ष 1999 से लेकर 2009 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत ये साक्षरता कर्मी स्वयं सेवक के पद पर निस्वार्थ भाव से असाक्षरों को पढ़ाने के साथ-साथ लगातार सामाजिक कार्य करते रहे हैं। वर्ष 2010 से साक्षर भारत मिशन के तहत पंचायत क्षेत्र के लोक शिक्षा केन्द्र में ये प्रेरक के पद पर काम कर रहे हैं। इसके एवज में इन्हें 67 रूपये दैनिक के हिसाब से 2000 रू0 मासिक मानदेय मिलता है। सरकार द्वारा चलाये जाने वाली विभिन्न योजनाएं और कार्य जैसे पल्स पोलियो, कुष्ठ उन्मूलन, पी0डी0एस0 सुपरवाइजर, मतदान कार्य, योजना बनाओं अभियान, मनरेगा कार्य, स्वच्छ भारत सर्वे, आर्थिक गणना, जन-धन खाता खुलवाना, अटल पेंशन योजना, स्कूल चलें अभियान के अलावा पारा शिक्षकों के हड़ताल की अवधि में विद्यालय में पठन-पाठन कार्य करना आदि कार्य सरकार द्वारा प्रेरकों से लिया जाता है, जिसे ये न्यूनतम वेतनमान में भी ईमानदारी पूर्वक असाक्षरों को पढ़ाने के साथ साथ कर रहे हैं। परन्तु सरकार ने 31 मार्च, 2018 के बाद साक्षर भारत मिशन को स्थगित कर दिया है, जिसके कारण सभी साक्षरताकर्मी बेरोजगार होकर भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं।

अतः सरकार से मांग है कि साक्षरता कर्मियों का सेवा विस्तार कर इन्हें नियमित किया जाये या सरकार के अन्य कार्यक्रमों में इन्हें समायोजित किया जाये तथा साक्षरता कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान करते हुए साक्षरता कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाये।

(इति)

Re: Creation of All India Judicial Services

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हितों के खिलाफ है, जो कहता है कि आरक्षण विभाग को इकाई मानकर लागू किया जाए न कि विश्वविद्यालय को। विभाग में यदि एक-दो या तीन ही जगह खाली हैं तो कभी भी इन वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नीति बनाने जैसा है जो केवल संसद ही कर सकती है। उच्च न्यायपालिका में जब तक एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. का आरक्षण नहीं होता तब तक इन वर्गों को न्याय मिलना असंभव हो गया है।

महोदया, जिस तरह से सिविल सर्विसेज की परीक्षा से योग्य प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं, उसी तरह से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लागू की जाए।

(इति)

Re: Need for doubling of railway lines in Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): महोदय, गुजरात देश का सबसे बड़ा जीडीपी वाला प्रमुख औद्योगिक राज्य है। इसके साथ ही वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जबरदस्त सफलता के चलते राज्य में लाखों-करोड़ों रूपये का निवेश होता है। इन सबको देखते हुए गुजरात राज्य में विभिन्न रेलवे लाइनों के दोहरीकरण की आवश्यकता है।

बंदरगाहों और उद्योगों से माल की आवाजाही के लिए बड़े हिंटरलैंड की आवश्यकता है। इसके तहत गुजरात सरकार विभिन्न संगठनों, उद्योगों, यात्री संघों से लगातार प्रतनिधित्व प्राप्त कर रही है। रेलवे लाइनों के दोहरीकरण हेतु भारत सरकार से बहुत बार पत्राचार किया गया है। लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः मेरा अनुरोध है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित रेलवे लाइनों का दोहरीकरण किया जाये जिससे जनता तथा उद्योगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

1. मेहसाणा - पालनपुर
2. राजकोट- वेरावल
3. राजकोट – ओखा

(इति)

Re: Setting up of an income tax Appellate Tribunal at Hubbali-Dharwad city of Karnataka

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Hubbali-Dharwad being the second largest city in the state of Karnataka witnesses number of situation whereby an income tax appellate tribunal has an important role to play. The city also has a High Court Bench and it is, therefore, requested that an income tax appellate tribunal shall be established for the convenience and ease of citizens of the constituency and places nearby.

(ends)

Re: Need to bring mortal remains of NRIs from Gulf countries to the country free of cost

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): India has around 90 Lakh people working in the Gulf countries and contribute around 37 billion USD to the nation. A good number of these NRIs are blue collared workers.

The family back in India faces an acute challenge and harrowing experience to transport the mortal remains from the Gulf to India. Almost 10 persons die every day in this sector.

Today the Airlines operating to India charge the transportation of mortal remain according to weight and volume, Recently the Govt has announced a flat rate on Air India for bringing the dead body which is between Rs. 28,500 and Rs. 42,800 depending on the country.

It is reported that some of our neighbouring countries transport the mortal remain free of cost.

I urge upon the government to examine and consider free transporting of mortal remains of the NRIs to India which will help many families of blue collared job seekers in the Middle East.

(ends)

Re: Need to create a separate Ministry of Fisheries

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Government to the need to create a separate Ministry for Fisheries, not just the Department announced on Friday. The Indian fisheries and aquaculture sector contribute to nearly 6.3% of global fish production and the livelihood of nearly 4 million are dependent on the sector. Furthermore, the Indian aquaculture sector has great potential for growth as India has a coastline of 7,517 km and extensive river and canal system of roughly 195.210 km. The Indian fisheries sector requires urgent attention and investment, it will help the sector reach its maximum potential. A separate ministry will also help understand and address issues of fishermen across India and allow for their concerns to be heard at a national level. Additionally, the fishing community are economically-socially vulnerable, it requires special attention, especially in times of natural calamities (cyclone, floods etc) that adversely impact the industry and the livelihoods of fishermen.

(ends)

Re: Need to safeguard the interests of poultry farmers of Namakkal district, Tamil Nadu

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Namakkal District in Tamil Nadu is the largest producer of poultry. 34 Million Eggs are produced every day. All over Tamil Nadu & Kerala, Eggs are supplied from here, and Eggs are exported to Maldives & Afghanistan.

Namakkal receives 500 to 550 mm rainfall leading to failure in agriculture. Because of this Tapioca Farmers have turned to Poultry.

Namakkal has more than 800 farms with an average of 50,000 hens, giving employment directly & indirectly to 10,000 families. For quality and nourishment, poultry are reared in platform cages, in good environment for all climatic conditions. The present poultry rearing system is as per modern scientific guidance & welfare, the chicks are taken care of to ensure quality and interest of public and provide eggs at an affordable price. To avoid variations in market price, cold storage facilities are also created to store surplus eggs.

Tamil Nadu is the first State to introduce eggs in noon meal scheme in schools from 1990 which is followed by many States. Hence, to safeguard the welfare of Poultry Farmers the Union Government is urged to give attention to protect the interests of poultry farmers.

(ends)

Re: Need to introduce Women's Reservation Bill

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): I wish to bring to the notice of the Government the need to provide reservation for women in the Lok Sabha and the State Assemblies on top priority. The Constitution (One Hundred and Eighth Amendment) 2008 Bill, seeking to provide 33 percent reservation for women in the Lok Sabha and the State Assemblies was introduced in the Rajya Sabha in 6th May 2008. The Bill was referred to Standing Committees twice and was ultimately passed by the Rajya Sabha on 9th May 2010. However, it lapsed with the dissolution of 15th Lok Sabha in 2014. It is saddening that a long pending demand of such an important Bill has been pending for over ten years. The enactment of the 73 and 74th Constitutional amendments has facilitated the entry of lakhs of women in villages, small towns and cities, into the political arena. It is an irony that women are still struggling to secure the same in Parliament. Our late lamented leader Dr Puratchi Thalaivi Amma got two bills, amending Municipal and Panchayat laws to increase the percentage of reservation for women from 33 to 50, passed in 2016. I appeal to the Government to introduce the Women's Reservation Bill in Parliament without further delay.

(ends)

Re: Manual scavenging in India

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): It is perturbing to understand that the inhuman practice of manual scavenging is widely practiced throughout the country even today. Every year hundreds die due to asphyxiation of the poisonous gases, the death of five manual scavengers in Delhi on September 10 testifies to the fact. In 2013, the government acknowledged the cleaning of dry toilets as manual scavenging and made it an illegal offence. However, so far no convictions have been made under the law. Yet, over 20,500 people have been identified as involved in manual scavenging according to a survey conducted by Ministry Of Social Justice and Empowerment, of them the majority are Dalit women.

Under the Swacchh Bharat Mission, many septic tanks are being built in rural India. If the government do not take up faecal sludge management as a priority, it will again put the burden on manual scavengers to clean millions of dry toilets and things could go much worse.

Therefore, I urge the government to look into this matter extensively and put a complete end to this and rehabilitate the workers immediately providing them with alternative job opportunities.

(ends)

Re: Return of undisputed land in Ayodhya

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The Centre argued in its application in Hon'ble Supreme Court to return the un-disputed land, that the Supreme Court's judgment in Dr M Ismail Faruqui and Ors Vs Union of India (October 24, 1994), which upheld the Constitutional validity of the Acquisition of Certain Areas of Ayodhya Act, 1993, under which the 67.703 acres were acquired to Nyas. Government is trying to establish, that the "interest claimed by the Muslims was only over the disputed site of 0.313 acres where the disputed structure stood before its demolition". It divided the disputed 2.77 acres of land, including the spot where the Babri Masjid stood until December 6, 1992, and the area around it, equally among the Nirmohi Akhara, the Sunni Central Wakf Board, UP, and Ramlalla Virajman, The government's intention to divide the public by highlighting the belief of a major community to win the election in anyway.

(ends)

Re: Construction of road over-bridge at level crossing no. 61 at Basta in Balasore Parliamentary Constituency of Odisha

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): The busy main road connecting block headquarter Basta to both the National Highway Nos. 5 & 60, on either sides, passes through Manual LC-61 near South Cabin at Basta Daily market area. People of both the districts of Balasore and Mayurbhanj use this important short distance road for their daily needs. Despite the requisite survey work by South Eastern Railway completed since November 2013, there has been no progress in construction of ROB near South Cabin of LC-61. With the recent completion of a road bridge over the river Jalaka, there has been manifold increase in the number of vehicles plying through this already busy road, thereby creating more congestion at LC -61 areas and giving rise to accidents frequently.

In this context, I would urge the government to construct the ROB at LC 61 immediately to prevent accidents and inconvenience to the general public of Basta and Baisinga areas of Balasore and Mayurbhanj districts respectively.

(ends)

Re: Renaming of Bombay High Court

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): It is requested that Bombay High Court should be named as Mumbai High Court. In fact, the State Government of Maharashtra had conveyed ''no objection" for the same to Department of Law and Justice, Government of India, on 17/1/2005. In this connection, the State Government of Maharashtra had also sent a reminder letter on 1/11/2017. I request the Government of India and the Ministry of Law & Justice to convey its approval to name it as Mumbai High Court.

(ends)

Re: Need to rectify the methodology for imposition of GST on various products.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): The Government is requested to look into & rectify the methodology of imposition of GST on various products. GST is imposed on products which are naturally processed, such as there is no GST on Chillis, but there is GST on dried Chillis.

GST is collected through CGST, IGST & SGST. But, revenue collected through IGST is deposited under collective or common fund and distributed to States at the rate of 42% as per the recommendations made by the 14th Finance Commission. But, as per procedure and rule, only 50% of IGST revenue should be deposited under collective or common fund and the remaining half should be distributed to States. Due to this, the States are losing their genuine share of revenue and Andhra Pradesh is no exception. Due to above methodology, Andhra Pradesh lost Rs. 1,000 crores of its rightful share. Hence, I request the Ministry of Finance to rectify this methodology and pay Andhra Pradesh Rs. 1,000 crores which it lost.

(ends)

Re: Setting up of a Post Office Passport Seva Kendra at Nenmara in Alathur Parliamentary Constituency of Kerala

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Nenmara is a remote rural village in Palakkadu that belong to my Parliamentary Constituency, Alathur. Starting a Post Office Passport Seva Kendra (POPSK) in Nenmara will be beneficial to the people living in the 32 nearby Panchayaths and Chittoor -Tatamangalam Municipality in Chittoor, Palakkkd and Alathur taluks. This will be a boon to thousands of people who are working abroad, especially in Middle East countries, from these areas. The Post Office, Nenmara is an ideal place to start the POPSK. It has spacious quarters facing the main road that could be used as office space for the proposed POPSK and it is easily accessible to the public. I urge the Government to take necessary steps to start the Post Office Passport Seva Kendra at Nenmara Post office as early as possible.

(ends)

Re: Need to amend DANICS rules to facilitate representation of people of Lakshadweep in DANICS

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): I would like to bring to the notice of the central government about the plight of the local officers/employees of the UT of Lakshadweep. Despite working in tough island conditions and performing multifarious duties they have been placed at lower pay scales just for the reason that they belong to Scheduled Tribe. Even the present staff strength is not sufficient. Hence, there is an urgent requirement for higher pay scales at par with their Delhi counterparts and for improving efficiency of administration.

It is also pertinent to mention that since Lakshadweep is a Union Territory and hence there are no locally recruited State Civil Service officer, the role of the State Civil Service is being performed by DANICS officers. Local officers of Lakshadweep are also eligible for promotion into DANICS but the irony is that till date no local officer has been promoted. Therefore, there is an urgent requirement for amendment of DANICS rules in such a way so that local officers of Lakshadweep can also be given proportional representation in DANICS.

Further, it is to bring to your kind notice that entry grade of DANICS has been given the status of Group B with low pay scale (L-8) which is very detrimental for the local officers promoted into DANICS & hence requires immediate rectification. Local officers of Lakshadweep shall also get the status and pay scales which their counterparts in Goa, Mizoram and Arunachal

Pradesh are getting after promotion into State Civil Service. Therefore, entry grade officers of DANICS shall be designated as Group A officers with pay stale in Level 10 as per 7th CPC.

Therefore, I request the government to consider this matter for amendment in DANICS rules, so as to provide equality, justice & dignity to poor minority ST employees of UT of Lakshadweep.

(ends)

Re: Pending railways projects in Haryana

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to express my concern about the demands of many railway projects in the state of Haryana which are pending for long period with the Central Government and I have been urging the government in this regard on various occasions continuously. Among these demands, the one is the railway connectivity from Hisar to Chandigarh and the extension of train from Bhiwani to Chandigarh up to Hisar. You are aware that Hisar Junction is the major railway station in Bikaner division and the city is a well-known industrial as well as educational hub in Haryana. But not even a single train originates from this major district headquarters to Chandigarh despite the fact that adequate railway track and other facilities are available. Therefore, I urge the government to identify all pending railway projects in my State including the one from Hisar to Chandigarh and expedite necessary action for early completion.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Whatever it is, please go to your seats. ऐसे तो कुछ भी मामला नहीं बनता है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seat. हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने दीजिए।

…(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए चर्चा का यह समय है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे देश में सर्वोच्च हैं, उनको इस सदन में धन्यवाद देना ही चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी सीट पर जाएं, इस चर्चा को प्रारम्भ करें और राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने में सहयोग करें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका मामला वैसे भी कोर्ट में है। Let the Supreme Court decide all these things. यहां यह डिसाइड नहीं हो सकता है। It cannot be decided here.

…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सभी 'चोर' और हम ही समझदार, ऐसा नहीं होना चाहिए। Please go to your seat.

…(*Interruptions*)

(1405/UB/RAJ)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 5th February, 2019 at 11 a.m.

1405 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 05, 2019/Magha 16, 1940 (Saka)